न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 262/2018/225 आरटीए

1. सुखपाल कौर पत्नि टिकासिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. प्रकाश कौर पत्नि कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अजायबसिंह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2017 व निर्णय रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 463/90 अनवानी वीरपालकौर बनाम छिन्द्रपाल कौर

उपस्थित :–
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –31.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद मे जरिये राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजी जरिये डिक्री दिनांक 19.05.2011 मुकदमा नं. 64/1990 अनवानी वीरपाल कौर बनाम छिन्द्रपाल कौर आदि मे प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसके विरूद्ध छिन्द्रपाल कौर द्वारा श्रीमान न्यायालय मे अपील सं. 160/2011 प्रस्तुत की जो जैरकार है तथा श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपील मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद है, जिसके बाबत अपील जैरकार है। प्रार्थीगण के हिस्से बाबत तथा प्रार्थीगण के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री बाबत अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 4 को कोई एतराज नही है जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाई गई रिसीवर राशि लौटाने बाबत अनुतोष चाहा, जिसमे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2016 को स्थगन आदेश का प्रभाव रिसीवर से संबंधित बिन्दू के संबंध मे प्रभावशीन नही होने बाबत आदेश पारित किया, श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2016 के अनुसरण मे प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिसीवर राशि लौटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.17 को पेश किया जिसमे अपील के अन्तिम निस्तारण तक पत्रावली लम्बित रखे जाने का आदेश दिनांक 18.07.17 को पारित किया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.17 को पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 को प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश दिनांक 18.07.17 बहाल रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया तथा उक्त वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सही निर्णय पारित किया गया है जो सही है। प्रश्नगत भूमि मे रेस्पो0 का हक व हिस्सा है इसलिये रेस्पो0 इसकी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 के दादा स्व0 राजूसिंह उर्फ राजू की थी जो राजू सिंह के फौत होने के बाद समस्त भूमि पत्नि बिश्नकौर, पुत्र अमरसिंह व चार पुत्रियों धन्नो, दीपो, सीतो व जीतो को बहिस्सा बराबर औद हुई। मु0 बिश्नकौरव चारो पुत्रियों द्वारा उक्त भूमि समस्त हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 06.06.63 अपीलांट के पक्ष मे तर्क कर दिया। परिणामस्वरूप वादग्रस्त भूमि अपीलांट की एकल खातेदारी दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमे रेस्पो0 हक व हिस्सा जन्म से निहित हो जाता है तथा जिसकी घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है। अपीलांट उक्त पैतृक भूमि मे से भूमि बैचान कर चुका है तथा शेष बची भूमि को बैचान करने पर उतारू है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 स्थगन आदेश बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का स्थाई करने से किसी भी प्रकार को कोई नुकसान नही होना मानते हुए स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उभय पक्ष उपस्थित नही होना फर्दअहकाम दिनांक 22.06.17 मे अंकित किया है तथा पक्षकारान की उपस्थिति बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जबकि आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का

न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा पक्षकारान की उपस्थिति के बिना अभियान के दौरान पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official